UPBG010013042026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, बागपत।

उपस्थितः मनोज कुमार–III, एच.जे.एस.

कम्प्यूटर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 466/2026

1. रवि पुत्र अमरचन्द सैनी, निवासी ग्राम खटटा प्रहलादपुर, थाना व जनपद बागपत।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1. उ0 प्र0 राज्य ...अभियोजक।

मु.अ.सं.–1057/2024
धारा–110,115(2),131
बी.एन.एस.,
थाना–बागपत,
जिला–बागपत।

दिनांकः–10–03–2026

प्रार्थी/अभियुक्त रवि की ओर से यह प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रिम जमानत हेतु धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अभियुक्त स्वयं का शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि **अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है।** अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने उक्त अपराध नहीं किया है। वह निर्दोष है। उसने उक्त अपराध नहीं किया है। उसे उक्त मुकदमें में गॉव की पार्टीबाजी के आधार पर झूॅठा फॅसाया गया है। उसने वादी मुकदमा के साथ गाली गलौंज नहीं की है और न ही अचानक से हमला करते हुए सिर में कोई चोट मारी है। उक्त कथित घटना का कोई निष्पक्ष चश्मदीद साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को थाना बागपत की पुलिस द्वारा धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. का नोटिस देकर छोड दिया गया था। आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। सम्बन्धित थाना पुलिस अभियुक्त को जारी प्रोसेस के आधार पर गिरफतार करना चाहती है। अभियुक्त के कारागार में निरूद्ध रहने अथवा पुलिस द्वारा गिरफतार कर लेने से उसका भविष्य खराब होने की प्रबल सम्भावना है। वह अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने पर विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा न्यायालय अथवा पुलिस के आदेशित किये जाने पर स्वयं निर्देशित स्थान व समय पर उपस्थित हो जायेंगे। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है, उसके द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर उक्त घटना वादी के साथ कारित की गयी है, जिसमें वादी मुकदमा को गम्भीर चोट आई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाये।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा थाने से प्राप्त आख्या एवं समस्त केसडायरी/पत्रावली का परिशीलन किया गया।

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.03.10 16:24:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अली मौहम्मद ने दिनांक 27.12.2024 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि वह बली प्रधान के दूध के प्लांट पर नौकरी करता है, जो कि मेरठ रोड पर स्थित है। आज दिनांक 26.12.2024 को समय करीब सात बजे सांय खाना खा रहा था, तभी उसके ही गॉव खटटा के रवि उमरचन्द सैनी व एक अन्य के साथ धारदार हथियार के साथ अचानक उस पर हमला कर दिया। वह किसी तरह से मेरठ रोड पर आया और बेहोश हो गया। उसे अस्पताल जाकर होश आया, जहॉ पता चला कि 112 नम्बर वाले उसे वहॉ से लेकर आये।

चुटैल अली मौहम्मद के चिकित्सीय प्रपत्र के अनुसार उसके शरीर पर चार चोटें पायी गयी हैं, जिनको कठोर कुन्दाले से आने का उल्लेख किया गया है तथा साधारण प्रकृति की होना वर्णित हैं।

अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि वादी मुकदमा ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा चिकित्सिक द्वारा चुटैल की सिर पर आई चोट को जानलेवा होना बताया गया है तथा यह भी कथन किया है कि उक्त चोट से आदमी बेहोश हो सकता है।

उपरोक्त के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा/चुटैल अली मौहम्मद पर धारदार हथियार से अचानक प्रहार करके उसे गम्भीर उपहति कारित करने का अभियोग है। केसडायरी में संलग्न चिकित्सीय आख्या में चुटैल को चोटें कठोर कुन्दाले से आने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारदार हथियार से हमला करने का कथन किया गया है। चुटैल अली मौहम्मद के चिकित्सीय प्रपत्र के अनुसार उसके शरीर पर चार चोटें पायी गयी हैं, जिनको कठोर कुन्दाले से आने का उल्लेख किया गया है तथा साधारण प्रकृति की होना वर्णित हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को थाना बागपत की पुलिस द्वारा धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. का नोटिस देकर छोड दिया गया था। आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अपराध सात वर्ष से अनाधिक कारावास से दण्डनीय है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये, न्यायालय का मत है कि अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाने का पर्याप्त आधार है। अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त <u>रवि</u> की ओर से प्रस्तुत <u>अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र दौरान विचारण स्वीकार किया जाता है।</u> अभियुक्त दस दिन के अन्दर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा तथा सम्बन्धित न्यायालय द्वारा मु० पचास हजार रूपये का बंधपत्र व समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को अधोलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जायेगा–

1. अभियुक्त इस प्रकृति का अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।
2. अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. विचारण प्रारम्भ होने पर अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा और साक्षी के उपस्थित होने पर अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

दिनांकः–10.03.2026

(मनोज कुमार–III),
सत्र न्यायाधीश,
बागपत।
J.O.Code–U.P. 1909